

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-6/9908/2017-18/154

दिनांक:-1/8/17

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक (राज्य निधि) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निमानुसार कार्यालयों को सामान्य/गम्भीर रोग से ग्रसित कार्यक्रमों नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.सं.	IFMS UID CODE	जिशिअ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1576	बाड़मेर	289806	श्री पुखराज सिंह शाशि. राउप्रावि रॉय कॉलोनी के गुर्दा प्रत्यारोपण उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2.	1521	कोटा	49611	श्री ओम प्रकाश सुमन सेनि. जमादार के स्वयं व उनकी पत्नि के गम्भीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 25505/- व श्री भोहम्मद शाहिद शाशि. राउप्रावि रामपुरा के पिता के कैंसर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण राशि 24106/-
3.	1696	जयपुर पश्चिम	24431	श्रीमती बीना गुप्ता अ. राउप्रावि लालकोठी के स्वयं के कैंसर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
4.	1569	बीकानेर	53830	श्री लाल चन्द हटीला वाय. राउप्रावि शीतलागेट की पत्नि के गम्भीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 47345/- व श्री मनोहर लाल प्रजापति सेनि. अ. राउप्रावि तेलावाडा के स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 6485/-
5.	1584	उदयपुर	50837	श्री मदन लाल कुम्हार सह.कर्मचारी राउप्रावि सुन्दरवास की पत्नि के गम्भीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 28337/- व श्री चन्दन कुमार मन्ना सहा. कर्मचारी मादडी के स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 6748/- व श्री प्रकाश चन्द नाई सहा. कर्मचारी के स्वयं के गम्भीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 15752/-
		योग	468515	(अंके रूपये चार लाख अड्सठ हजार पाँच सौ पन्द्रह मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:-

1. सहालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

लेखाधिकारी